

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक,

15

दिसम्बर 2017

विषय:- रामपुर में स्वार-विलासपुर मार्ग किमी० 13 की बायीं पटरी पर ग्राम मेंहदीनगर तहसील स्वार के खसरा सं० 132 पर एच०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.060548 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-850/रामपुर/27293/2017 दिनांक 22-09-2017

का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- विषयगत प्रकरण के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्ताव में अनेक प्रमाण पत्रों पर हवाइटनर से मिटाकर ओवरराइटिंग की गयी है, जिसे प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किया गया है, जो उचित नहीं है। अतएव मूल प्रस्ताव इस आशय से वापस किया जाता है कि कृपया परीक्षण करते हुये सम्बंधित प्रमाण पत्रों में हुये करेक्सन को प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव